

INFORMATION BROCHURE

B.Ed. ADMISSION TEST-2016

ORDINANCES ON ADMISSION TO THE BACHELOR OF EDUCATION (B.ED) COURSE

Please visit <https://www.digialm.com/EForms/html/form4394/index.html> OR Admission-2016 link of www.allduniv.ac.in for ONLINE application

1. In these ordinances, unless the context otherwise requires-
 - i. 'Admission' means admission to the B.Ed. course.
 - ii. 'Admission Test' means the test held in accordance with the provisions of these ordinances and regulations made there under towards the assessment of the eligibility and relative merit of candidates.
 - iii. 'Candidates' means a person who fulfills the requirements laid down in these ordinances and the regulations made there under for admission to B.Ed. course and has applied for such admission in the manner specified there in.
 - iv. 'Computed Marks' means the marks assign to the candidate, in accordance with the provision of these ordinances and the regulations made there under, on the basis of his score in the B.Ed. admission test has modified by the addition of weightages applicable (as specified by the state govt. orders) for determining his position in the order of merit for admission to the B.Ed. course.
 - v. 'Qualifying examination' means the graduate and Bridge Course Examination the candidates is required , by the provisions of these ordinances and regulations made there under, to have passed in order to be eligible to apply for appearing in the admission test and for admission.
 - vi. 'Qualifying marks' means, in respect of candidates require to appear in admission test, the minimum marks as specified by the National Council for Teacher Education.

1. Admission rules and Provisions for B. Ed. Course:

Admission for B. Ed. Course shall be held for affiliated colleges of University of Allahabad i.e. (1). K. P. Training College (Government Aided) and (2). S. S. Khanna Girls Degree College (Under self finance scheme) for girls only. B. Ed. Course will be of Two Years (4-Semester) which can be completed within a maximum period of 03 years.

- 1.1 – Candidates with at least 50 % marks either in Bachelors Degree and / or Masters Degree in Science/ Social Science/ Humanity, Bachelors in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.
- 1.2 – Relaxation in qualifying marks and reservations for S. C. / S. T. /O.B.C. /P.W.D. and other classes shall be as per Central Government rules.
- 1.3 – Only those candidates can apply for B. Ed. Admission, who have passed the qualifying U.G. /P.G. examination from the University of Allahabad or any other University recognized by UGC.
- 1.4 – Admission to Teacher Education Institutions affiliated to University of Allahabad shall be done on the seats approved by N. R. C. of N. C. T. E. Any admission over and above this limit shall be invalid.
- 1.5 – Admission to Arts, Science and Commerce streams shall be done on the seats decided on the basis of number of teachers available in different school subjects in a particular institution as per the NCTE regulation (2014).
- 1.6 - Admission Test and admission shall be governed by University of Allahabad Act- 2005. If new ordinances for B. Ed. are approved they will replace the existing Ordinances.
- 1.7 - If seats are lying vacant under S. T. category due to non availability of candidates, such seats shall be adjusted under S.C. Category.
- 1.8 - If seats are lying vacant under S. C. category due to non availability of candidates, such seats shall be adjusted under Unreserved Category.
- 1.9 – If any candidate of Reserved category is eligible for admission on the basis of merit order under Unreserved category he/she will be adjusted under Unreserved Category.
- 1.10 Only those candidates shall be entitled for admission under Reserved category who have marked the reserved category in admission form and produced valid document in this regard at the time of admission.
- 1.11 No correction in the entries shall be permitted after submission of the registration form.

2. Admission Rules and Provisions:

- 2.1 – Admission to B.Ed. course is governed by the directives of NCTE and ordinances related to University of Allahabad Act- 2005. In case of any contradictions in bulletin above ordinances will prevail. Any direction by NCTE or Central Government shall be mandatory.

2.2 – Maximum seats for admission in any institution is decided on the basis of availability of teachers. Maximum number of seats is approved by NRC of NCTE.

For K.P. Training College (Co-ed institution) maximum intake is 50.

For S.S.Khanna Girls Degree College (Female Candidates only) maximum intake is 100.

2.3 – Admission to Science and Commerce Graduates shall be done subject to availability of teachers in concerned streams. B. Ed. Department of the college must have science lab of High school level.

2.4 – Separate merit list shall be prepared for Arts, Science and Commerce streams for reserved and unreserved category on the basis of scores obtained in admission test. Only female candidates can opt for both the colleges, therefore merit list for female candidates shall be prepared for both the colleges separately.

2.5 – Such candidates will not be eligible for admission if he/she has been debarred/ expelled from the University for two or more years.

2.6 – PWD – 03% seats will be reserved for Physically Disabled candidates. Admission under PWD category shall be done as per University of Allahabad Admission rules.

2.7 – PWD candidates will be adjusted in their respective social category.

2.8 – If there is any discrepancy in calculation of computed scores, the same can be corrected and consequently merit position can be revised. If by such revision the name of any candidate gets deleted from merit order his admission can be cancelled.

2.9 - (a) No student of the University (Including any Institute thereof) is permitted to be admitted or enroll simultaneously in more than one degree granting course of study (Including research) in university or to be admitted / enroll in any degree granting course of study in any institution (including an Associated or Constituent college of university) during the period of his admission/enrolment in a degree granting course in the course in the University.

(b) The admission /enrollment of a student referred to in clause(a) in the course of study concerned in the university shall automatically stand cancelled with effect from the date of his admission /enrollment in any other degree granting course of study in any other institution (including an Associated or Constituent college of the University).

(c) In case a student referred to in clause (a) secures admission/ enrollment in a new degree granting course of study in the university (including an institute thereof) during the period of his admission/ enrollment shall automatically stand cancelled with effect from the date of his later admission/enrollment.

(d) A student whose admission/enrollment in a postgraduate degree granting course of study(including law) automatically stand cancelled under clause (C), but who at the time of such cancellation had earned eligibility to appear at any part of the examination of the said course of study as an ex-student may, upon passing to final examination of the new course of study refer to in clause (c) , or upon the termination of his admission/enrollment therein, apply to the examinations committee for permission to appear in the said part of the examination as ex-student, but the examination committee shall not grant such permission except if the record establishes that he had, at the time of said cancellation, earned the said eligibility and not more than four consecutive academic session have elapsed since the academic session in which he was admitted/enrolled in the said part as a regular student.

(e) No student of the university (including an institute thereof) shall appear as a regular student and/or an ex-student in the same academic session in any part of the examination of more than one degree granting course of study.

(f) A person who has been on the rolls of the university (including the Associated and Constituent colleges and the institutes thereof) for a period of eight academic session or more (excluding the actual but not more than the permissible maximum period of enrollment as research scholar) shall not be eligible for admission to any course of study.

(g) No student of the university, other than one sponsored or permitted by his employer to attend (and fulfill the attendance requirement of) the course of study concerned, is permitted to be engaged in whole-time employment or whole-time self employment.

3. – Format of Admission Test:

3.1 – B. Ed. Admission Test shall have One Question paper for Three hours duration. This question paper shall have two sections. Section One will have 25 items of Hindi Language comprehension, 25 items of English Language comprehension, 50 items on General Knowledge and Current Affairs, 25 Items on Mental Ability and 25 Items on Teaching Aptitude. These 150 Items shall be compulsory.

Section Two will have 50 Items on Subject content Knowledge. Every candidate shall have to answer all the 50 items from any of the Arts, Science or Commerce Streams. Levels of items will be of three year degree course of B. A./ B. Sc./ B. Com. Of University of Allahabad. Items of Arts stream will be from History, Geography, Political Science, Economics, Hindi Literature, English literature and Sanskrit Literature subject.

Items of Science stream will be from Physics, Chemistry, Maths, Zoology and Botany subjects.

Candidates shall have to answer 200 items in all and each item shall carry 01 mark.

Items of General Knowledge shall be from Indian Social Life, History, Economic Development, Five Year Plans, Education Policy, Literature, Constitution, Sports, Environment, Health, Geography etc.

Items of Mental Ability will include Items from Logical Ability, Relational Thinking, Symbol Transformation, Abstract Thinking and Classification Ability, inductive deductive thinking.

3.2 – Candidates are not allowed to talk to other examinees in examination hall, use or attempt to use unfair means or creating obstacles in conduct of examination shall be liable of penalty.

3.3 – Any scrutiny or revaluation of answer sheets shall not be permitted on any ground.

**For the convenience of the online application Help Desk has been setup
Toll free phone number - 18002667753
Email us at: helpdesk.aentrance@gmail.com**

izos'k lwpuk iqfLrdk

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा-2016

बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अध्यादेश

कृपया प्रवेश हेतु पोर्टल <https://www.digialm.com/EForms/html/form4394/index.html> या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.allduniv.ac.in को देखें।

- (अ) 'प्रवेश' का तात्पर्य बी0एड0 पाठ्यक्रम के प्रवेश से है।
- (ब) 'प्रवेश परीक्षा' का तात्पर्य प्रवेशार्थी की अर्हता एवं सम्बन्धित योग्यता (मेरिट) क निर्धारण के लिए इन अध्यादेशों एवं इनके अन्तर्गत बने विनियमों के अनुसार आयोजित की गयी परीक्षा से है।
- (स) 'अभ्यर्थी/प्रवेशार्थी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इन अध्यादेशों एवं इनके अन्तर्गत बने विनियमों के अधीन बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता धारित करता है तथा इस प्रवेश परीक्षा में विहित रीति से आवेदन करता है।
- (द) 'संगणित अंक' से तात्पर्य बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु श्रेष्ठता क्रम के निर्धारित हेतु इन अध्यादेशों एवं इनके अन्तर्गत बने नियमों में अभ्यर्थी/प्रवेशार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांकों जिसमें अधिभार(वेटेज) जोड़ा गया है, से है।
- (य) 'अर्हकारी परीक्षा' से तात्पर्य स्नातक तथा ब्रिज पाठ्यक्रम परीक्षा से है जो इन अध्यादेशों एवं इनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने तथा प्रवेश लेने हेतु, उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (र) 'अर्हकारी अंक' से तात्पर्य, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंक से है, जो अभ्यर्थी/प्रवेशार्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है।

1. प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं व्यवस्था

- 1 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध (1) काली प्रसाद प्रशिक्षण महाविद्यालय (सरकारी सहायता प्राप्त) अथवा (2) केवल महिलाओं के लिए सदनलाल सांवलदास खन्ना महिला महाविद्यालय (स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित) में बी0एड0 कक्षा में प्रवेश लिया जायेगा। बीएड पाठ्यक्रम दो वर्षों (4 सेमेस्टर) का होगा जिसे प्रवेश की तिथि से अधिकतम 3 वर्षों में पूरा करना होगा।
- 1.1 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री या /अथवा विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविक/कामर्स में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजीनियरी, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- 1.2 अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ0बी0सी0/पी0डब्लू0डी0 और अन्य वर्गों के लिए स्थान आरक्षण तथा अंकों में छूट केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार होगी।
- 1.3 बी0एड0 प्रवेश में केवल वे प्रवेशार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने अर्हकारी स्नातक/परास्नातक परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।
- 1.4 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहयुक्त अध्यापक शिक्षा संस्था में प्रवेश हेतु उपलब्ध अधिकतम स्थानों की संख्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की उत्तर क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। निर्धारित सं0 के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश अवैध होगा।
- 1.5 कला, विज्ञान तथा वाणिज्य वर्ग के स्नातकों का प्रवेश उन्हीं सीटों के लिए किया जायेगा जो सम्बन्धित सहयुक्त महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यालयी विषयों से सम्बन्धित शिक्षकों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देश(2014) के अनुरूप अनुमन्य होंगे।
- 1.6 प्रवेश परीक्षा, तथा प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रवर्तित परिनियम, अध्यादेश और विनियम (अद्यतन संशोधित/रूपान्तरित) से शासित है। यदि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत बी0एड0 प्रवेश हेतु नवीन अध्यादेश (Ordinance) स्वीकृत हो जाते हैं, तो वे वर्तमान अध्यादेशों का स्थान लेंगे।
- 1.7 यदि अनुसूचित जनजातियों के प्रवेशार्थियों की अनुपलब्धता के कारण उनके लिए आरक्षण स्थान रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त स्थानों को अनुसूचित जातियों के प्रवेशार्थियों हेतु आरक्षित स्थानों में समायोजित कर दिया जायेगा।
- 1.8 यदि अनुसूचित जातियों के प्रवेशार्थियों की अनुपलब्धता के कारण उनके लिए आरक्षित स्थान रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त स्थानों को किसी अन्य श्रेणी में समायोजित नहीं किया जायेगा।
- 1.9 यदि आरक्षित कोटि को कोई प्रवेशार्थी श्रेष्ठता क्रम के में अपनी स्थिति के आधार पर अनारक्षित स्थान पर प्रवेश हेतु अर्ह होता है, तो प्रवेश दिय जाने पर उसे अनारक्षित स्थान पर ही समायोजित किया जायेगा।
- 1.10 आरक्षित स्थान पर प्रवेश हेतु केवल वह प्रवेशार्थी अर्ह होगा जिसने प्रवेश आवेदन प्रपत्र में आरक्षित कोटि की सदस्या का उल्लेख किया होगा तथा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र पर इसका साक्ष्य (प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत किया होगा।

1.11 प्रवेश पंजीकरण पत्रक भरकर जमा करने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं होगा।

2. प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं व्यवस्था

- 2.1 बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशों तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित अध्यादेशों तथा विनियमों से शासित है। इस निर्देशिका के किसी भी भाग की उक्त अध्यादेशों एवं विनियमों से विसंगति होने अथवा निर्देशिका में उनके किसी प्रावधान का उल्लेख न होने की स्थिति में उक्त अध्यादेश एवं विनियम सर्वोपरि मान्य होंगे। यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या केन्द्रीय सरकार का कोई निर्देश इनसे भिन्न होगा तो वह निर्देश बाध्यकारी होगा।
- 2.2 प्रवेश हेतु अधिकतम सीटों की संख्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उत्तर क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है। के0पी0 ट्रेनिंग कालेज(सहशिक्षा) में अधिकतम सीट 50 और एस0एस0 खन्ना डिग्री कालेज (केवल महिला) में अधिकतम सीट 100 हैं।
- 2.3 महाविद्यालय के विज्ञान एवं वाणिज्य के स्नातकों का प्रवेश इस प्रकार किया जायेगा कि बी0एड0 विभाग में शिक्षक : छात्र अनुपात 1 : 10 बना रहे। यह जरूरी है कि महाविद्यालय में बी0एड0 विभाग में हाईस्कूल स्तर की विज्ञान प्रयोगशाला हो।
- 2.4 प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आरक्षित तथा अनारक्षित स्थानों के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के पृथक-पृथक श्रेष्ठता सूचियों तैयार की जायेगी। केवल महिलाएं आवेदिकाओं की उनके द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय सम्बन्धी वरीयता के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एस0एस0 खन्ना महिला महाविद्यालय के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में आरक्षित एवं अनारक्षित स्थानों के लिए अलग श्रेष्ठता सूचियाँ तैयार की जायेंगी।
- 2.5 श्रेष्ठता सूची में यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गयी हो अथवा किसी के विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हों अथवा किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए निष्कासित किया गया हो, तो ऐसे प्रवेशार्थी को सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
- 2.6 विकलांग कोटा : विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 03 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। विकलांग श्रेणी में प्रवेश विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों से शासित होंगे।
- 2.7 विकलांग प्रवेशार्थी को उसकी सामाजिक कोटि के अनुसार समायोजित किया जायेगा अर्थात् उनका समायोजन अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध स्थानों पर किया जायेगा।
- 2.8 संगणित अंक की गणना में त्रुटि होने पर उसके सुधार के परिणामस्वरूप सम्बन्धित श्रेष्ठता सूची में प्रवेशार्थी की स्थिति में संशोधन किया जायेगा तथा यदि उक्त सुधार के कारण प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थी का नाम प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों के श्रेष्ठताक्रम से हट जाता है, तो उसे दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- 2.9(अ) विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी को यह अनुमति नहीं है कि वह एक ही समय (Simultaneously) विश्वविद्यालय में एक से अधिक उपाधि-प्रदायक पाठ्यक्रम (जिसमें शोध सम्मिलित है) में प्रविष्ट/नामांकित बना रहे या विश्वविद्यालय में उपाधि-प्रदायक पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश/नामांकन की अवधि में किसी अन्य संस्था (जिसमें विश्वविद्यालय का सहयुक्त या घटक महाविद्यालय सम्मिलित है) में प्रविष्टि बना रहे।
- 2.9(ब) उप-प्रस्तर 2.10.1 में उल्लिखित किसी विद्यार्थी का विश्वविद्यालय (जिसमें उसका कोई संस्थान सम्मिलित है) में सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश/नामांकन उस तिथि के प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जायेगा जिस तिथि पर उसका किसी अन्य संस्था (जिसमें विश्वविद्यालय का सहयुक्त घटक महाविद्यालय सम्मिलित है) में किसी अन्य उपाधि-प्रदायक पाठ्यक्रम में प्रवेश/नामांकन होता है।
- 2.9(स) यदि उप-प्रस्तर 2.10.1 में उल्लिखित कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय (जिसमें उसका कोई संस्थान सम्मिलित है) के किसी उपाधि-प्रदायक पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश/नामांकन की अवधि में विश्वविद्यालय (जिसमें उसका कोई संस्थान सम्मिलित है) में किसी नये उपाधि-प्रदायक पाठ्यक्रम में प्रवेश/नामांकन प्राप्त करता है, तो उसके नये प्रवेश/नामांकन की तिथि के प्रभाव से उसका पूर्ववर्ती प्रवेश/नामांकन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 2.9(द) यदि उस विद्यार्थी ने जिसका किसी स्नातकोत्तर उपाधि-प्रदायक पाठ्यक्रम में प्रवेश/नामांकन उप-प्रस्तर 2.10.3 के अधीन स्वतः निरस्त हो गया है, ऐसे निरस्तीकरण के समय उक्त पाठ्यक्रम के किसी भाग की परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में प्रस्तुत होने की अर्हता अर्जित कर ली हो, तो वह उप-प्रस्तर 2.10.3 में उल्लिखित नये पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने या उसमें अपने प्रवेश/नामांकन के समाप्त होने पर उक्त (पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम की परीक्षा के) भाग की परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में प्रस्तुत होने की अनुमति के लिए परीक्षा समिति को आवेदन कर सकता है, परन्तु परीक्षा केवल निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति पर ही उसे ऐसी अनुमति प्रदान करेगी। अभिलेख यह स्थापित करता है कि उसने उक्त निरस्तीकरण के समय उक्त अर्हता अर्जित कर ली थी, तथा जिसे शैक्षिक

सत्र से वह उक्त भाग में नियमित (Regular) विद्यार्थी के रूप में प्रविष्ट/नामांकित हुआ था, उससे केवल अधिकतम चार लगातार शैक्षिक सत्र व्यतीत हुए हैं।

- 2.9(य) विश्वविद्यालय (जिसमें उसका कोई संस्थान सम्मिलित है) का कोई विद्यार्थी एक ही शैक्षिक सत्र में एक से अधिक उपाधि-प्रदायक पाठ्यक्रम की परीक्षा के किसी भाग में नियमित विद्यार्थी तथा/अथवा भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकता है।
- 2.9(र) यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय (जिसमें उसके सहयुक्त एवं घटक महाविद्यालय तथा संस्थान सम्मिलित है) की विद्यार्थी-नियमावली (Rules) में आठ से अधिक शैक्षिक सत्रों की अवधि (जिसमें शोध-छात्र के रूप में नामांकन की वास्तविक परन्तु इस निमित्त अनुमेय अधिकतम अवधि से अनधिक अवधि सम्मिलित नहीं है) व्यतीत कर चुका है तो वह किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।
- 2.9(ल) उस विद्यार्थी को छोड़कर जिसे उसके सेवायोजक ने सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने (तथा उसमें उपस्थित की अपेक्षाओं की पूर्ति करने) हेतु प्रयोजित किया है या अनुमति प्रदान की है, विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी को पूर्णकालिक सेवायोजन या पूर्णकालिक स्व-सेवायोजन में संलग्न रहने की अनुमति नहीं है।

3. प्रवेश परीक्षा का प्रारूप-

3.1 बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जो तीन घंटे का होगा। इस प्रश्न पत्र में दो खण्ड होंगे। प्रथम खण्ड में हिन्दी भाषा बोध के 25 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा बोध के 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान एवं समसामायिक गतिविधिया के 50 प्रश्न, मानसिक योग्यता के 25 प्रश्न, शिक्षण अभिक्षमता के 25 प्रश्न होंगे। ये 150 प्रश्न अनिवार्य होंगे।

द्वितीय खण्ड में विषय ज्ञान सम्बन्धी 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को कला विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में से किसी एक वर्ग से सम्बन्धित सभी 50 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों का स्तर इ0वि0वि0 के त्रिवर्षीय बी0ए0/बी0एस0सी0 /बी0काम0 के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा कला वर्ग में पूछे जाने वाले प्रश्न इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिन्दी-साहित्य, अंग्रेजी-साहित्य, संस्कृत-साहित्य विषयों से सम्बन्धित होंगे।

विज्ञान वर्ग में पूछे जाने वाले प्रश्न भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, तथा वनस्पति विज्ञान से सम्बन्धित होंगे।

प्रत्येक अभ्यर्थी को कुल 200 प्रश्न हल करने होंगे। तथा प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।

सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न भारतीय सामाजिक जीवन, इतिहास, आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजना, शिक्षा नीति, साहित्य, संविधान, खेलकूद, पर्यावरण, स्वस्थल, भूगोल आदि से सम्बन्धित होंगे। मानसिक योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न तार्किक योग्यता, सम्बन्धात्मक चिन्तन, संख्या श्रेणी, आगमनात्मक निगमनकता, संकेत रूपान्तर, स्थागन संबंध, अभूर्त चिन्तन, वर्गीकरण आदि से सम्बन्धित होंगे।

- 3.2 परीक्षा कक्ष में प्रवेशार्थी के लिये अन्य प्रवेशार्थियों से बात करना, किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग/प्रयास करना, स्वयं या अन्य व्यक्तियों से मिलकर प्रवेश परीक्षा के सुचारु संचालन में व्यवधान डालना अथवा अधिकारिक रूप से या कक्ष निरीक्षक द्वारा दिये निर्देशों की अवहेलना करना पूर्णतः वर्जित है। ऐसी किसी वर्जना के अतिक्रमण पर प्रवेशार्थी अनुचित साधन/अनुचित कार्यवाही हेतु दोषारोपित एवं दण्डित किया जायेगा।
- 3.3 प्रवेश परीक्षा के उत्तर-पत्रकों की संवीक्षा (Scrutiny) या पुनर्मूल्यांकन (revaluation) की किसी भी आधार पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

For the convenience of the online application Help Desk has been setup

Toll free phone number - 18002667753

Email us at: helpdesk.aentrance@gmail.com

परिशिष्ट 'क'

आवश्यक प्रमाण पत्र प्रारूप पर सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी.....अन्य.....राज्य के पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा/केन्द्रीय लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 को अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वत अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-2 (जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संसोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों गजट भाग-151-दिनांक 20 जून, 2003 में प्रकाशित रिसोल्यूशन सं0-12011/12001 बीसीसी, भारत सरकार के असाधारण गजट भाग-9 दिनांक 13 जनवरी, 2004 में प्रकाशित रिसोल्यूशन सं0 12011/4/2002 बीसीसी से आच्छादित नहीं है। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रूपयों या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश/ अन्य राज्य के ग्राम..... तहसील.....नगर-जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....

दिनांक

मुहर :

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा..... निवासी ग्राम/मुहल्ला.....तहसील.....

जिला.....उत्तर प्रदेश/अन्य राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की..... जाति के व्यक्ति है। यह जाति (संशोधित) आदेश 1956 के अन्तर्गत मान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति है।

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधीश/अतिरिक्त जिलाधिकारी/तहसीलदार

विकलांगता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा श्री.....शारीरिक रूप से विकलांग है तथा वह चर्मरोग, हकलाना, मूक,
बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है, जिससे छात्रों में फैलने या उनकी कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने
की संभावना हो। इनकी विकलांगता.....अंग से सम्बन्धित है तथा विकलांगता का
स्वरूप.....प्रतिशत है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर एवं सील
मुख्य चिकित्सा अधिकारी